रजिस्ट्री संख्या डी—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 1985 (भाद्रपद 23, 1907)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 1985 (BHADRA 23, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	697
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1145
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1283
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	31007
भाग III—खंड 2—पैटन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	681
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1781
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	151
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	697
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1145
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1283
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
ART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	31007
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	681
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1781
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	151
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 1985

संकल्प

सं० 1/20017/1/85-रा० भा० (क-I)—राजभाषा विभाग के 27 जून, 1985 के संकल्प सं० 1/20017/1/85-रा० भा० (क-1) के अधीन पुनर्गठित केन्द्रीय हिंदी समिति में भारत सरकार श्री वी० आर० चन्द्रशेखरन को सदस्य के रूप में, सहर्ष नियुक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

दिनांक 22 अगस्त 1985

शुद्धि-पत्र

सं० 12015/12/84-रा० भा० (तक० एकक)—भारत के राजपत्र भाग-1, खंड-1 में प्रकाशन के लिए दिनांक 7 अगस्त, 1985 को भेजे गये भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 29 जुलाई, 1985 के संकल्प संख्या-12015/12/84-रा० भा० (तक० एकक) में समय-समय पर इलेक्ट्रानिकी उपकरणों का उपयोग देवनागरी एवं द्विभाषिक रूप में बढ़ाने के लिए गठित अन्तर्विभागीय उच्च स्तरीय समिति की क्रम संख्या 7 के सामने डा० पी० के० पटवर्धन का पदनाम इस प्रकार पढ़ा जाए :—

डा० पी० के० पटवर्धन
प्रमुख कम्प्यूटर डिवीजन,
तथा अध्यक्ष, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ग्रुप,
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र,
ट्राम्बे।
बम्बई-400085

देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1985

लिपिक श्रेणी परीक्षा (समूह "ब" कर्मचारियों के लिए), 1985

नियम

सं० 9/2/85-सी० एस०-II—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के ग्रेड-VI के अवर श्रेणी ग्रेड, संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में नियमित रूप से नियुक्त ग्रुप "ब" कर्मचारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1985 में ली जाने वाली अर्हक परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रविष्ट किए जाएंगे वे निम्नलिखित सेवाओं की रिक्तियों के पात्र होंगे :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, यदि वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालय/कार्यालय में कार्य कर रहे हैं।

(ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा, यदि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में नियुक्त हैं।

(iii) भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड-VI यदि वे विदेश मंत्रालय या विदेशों में इसके दूतावासों में नियुक्त हैं, और

(iv) संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाएगी।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा। किस तारीख और किस/किन स्थान/स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी इसका निश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा।

4. कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी ग्रुप "ब" कर्मचारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

(I) सेवा अवधि : उसने (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में अथवा (ii) सशस्त्र सेना मुख्यालय और/अथवा अन्तर सेवा संगठनों अथवा (iii) विदेश मंत्रालय अथवा विदेशों में इसके दूतावासों अथवा (iv) संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में ग्रुप "ब" कर्मचारियों के रूप में अथवा किसी उच्चतर ग्रेड

में 1 अगस्त, 1985 को कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की हो।

टिप्पणी 1 :—5 वर्ष की अनुमोदित एवं लगातार सेवा की सीमा तक भी लागू होगी, यदि उम्मीदवार की कुल गिनती की जाने वाली सेवा आंशिक रूप में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी मंत्रालय अथवा किसी कार्यालय में अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले किसी कार्यालय में ग्रुप "ब" कर्मचारी के रूप में और आंशिक रूप से अन्यत्र उसके समकक्ष या उच्चतर ग्रेड में या विदेश मंत्रालय में और विदेशों में इसके दूतावासों अथवा इसीय कार्य विभाग में ग्रुप "ब" कर्मचारी के रूप में हों।

टिप्पणी 2 :—जो ग्रुप "ब" कर्मचारी, सक्षम-प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जो ग्रुप "ब" कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति किया गया है अथवा स्थानान्तरण पर अन्य सेवा में है और फिलहाल ग्रुप "ब" के पद पर उसका ग्रहणाधिकार बना हुआ है वह भी अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने का पात्र है।

(II) आयु :—वह 1 अगस्त, 1985 को 50 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए अर्थात् 2 अगस्त, 1935 से पहले उसका जन्म न हुआ हो। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तो उपर्युक्त निर्धारित आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु-सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

(III) शैक्षणिक अर्हता :—भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के अन्त में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण-पत्र जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जाता है, वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अवश्य पास होनी चाहिए।

टिप्पणी 1 :—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसके पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा है, वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी 2 :—कुछ विशिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है।

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपयोग का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है यदि उसके साथ ही उसे

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(iii) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो, उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

9. परीक्षा के बाद आयोग प्रत्येक सम्बंधित संवर्ग प्राधिकारी को इस परीक्षा में भाग लेने वाले उन उम्मीदवारों के नामों की अलग से सिफारिश करेगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए अर्हक मानक प्राप्त करेंगे। संवर्ग प्राधिकारी अपने द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार भरी जाने वाली निर्णीत की गई रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति करने के कदम उठायेंगे।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारों के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी जिनके बारे में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

टिप्पणी :—विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवाओं के सैन्य-विघटन चिकित्सा-बोर्ड द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

11. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार ने सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध सस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा ली गई अंग्रेजी या हिन्दी की कोई आवर्ती टंकण परीक्षा पहले ही पास न की हो तो यह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संचालित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से ऐसी परीक्षा पास करेगा। ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जाएगी।

यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्त करने से पूर्व मूल नियुक्ति पर अथवा अस्थायी पद पर लौटा दिया जायेगा।

टिप्पणी :—परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त जिस उम्मीदवार ने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास की हो या जो अपनी नियुक्ति के 6 माह के भीतर टंकण परीक्षा पास कर लेगा उसे पहली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाए छः महीने के बाद ही दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपने ग्रुप "घ" पद की नियुक्ति से त्याग-पत्र दे देता है अथवा/और किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है अथवा उससे सबंध-विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा वह किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा किसी अन्य सेवा में स्थानांतरण पर नियुक्त हो जाता है और ग्रुप "घ" पद पर उसका पुनः ग्रहणाधिकार नहीं रहता है, तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस ग्रुप "घ" कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

एच० जी० मंडल, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्न योजना के अनुसार होगी :—

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

पत्र सं० विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
(i) लघु निबन्ध	100	1 1/2 घंटा
(ii) सामान्य अंग्रेजी	50	1 घंटा
(iii) भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान	50	1 घंटा

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में बताया गया है।

3. उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्न-पत्र I या प्रश्न-पत्र III या दोनों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि) में किसी में दें।

प्रश्न-पत्र II के उत्तर सब उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिए।

टिप्पणी 1 :—प्रश्न-पत्र III में छूट पूरे प्रश्न-पत्र के लिए होगी, इस प्रश्न-पत्र के अलग अलग प्रश्नों के लिए नहीं।

टिप्पणी 2 :—उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र में स्पष्टतः लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देंगे।

टिप्पणी 3 :—एक बार चुना हुआ विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं होगा।

टिप्पणी 4 :—उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवाय किसी अन्य भाषा में उत्तर देने पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

4. उम्मीदवारों को भी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालिफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

6. केवल छिटले ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. अस्पष्ट लिखावट के लिए पूर्णांक के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

अनुसूची

पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र I लघु निबन्ध

दिए गए कई विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

प्रश्न-पत्र II : सामान्य अंग्रेजी :

उम्मीदवारों की साधारण बंध-रचना, व्यावहारिक व्याकरण तथा प्रारम्भिक सारणी करण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी के रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की योग्यता जांचने के लिए) में परीक्षा ली जाएगी।

प्रश्न-पत्र III : भारत के भूगोल सहित सामान्य ज्ञान :

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टि गोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव, जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो, आशा की जा सकती है। इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 1985

संशोधन

सं० जेड० 16025/2/83-एच०—इस मंत्रालय के 11-3-76 के संकल्प संख्या जेड० 16025/2/83-एच० का आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि संकल्प के पैराग्राफ 2 की क्रम संख्या

13 के अधीन वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएं :—

(3) उप-महानिदेशक (एच)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य सचिव

दिल्ली अस्पताल बोर्ड की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम/प्रधान मंत्री कार्यालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/दिल्ली अस्पताल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० आर० दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1985

सं० 26012-(1)/85-मात्स्यिकी (6)—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 26012/1/77-मात्स्यिकी (टी-1) दिनांक 24 जुलाई, 1978, जिसमें संकल्प संख्या 26012/1/83-मात्स्यिकी (टी-1), दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के द्वारा संशोधन किया गया है के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य नामजद करते हैं :—

1. श्री जगदीश दास,
   भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
   नवगांव (असम)
2. श्री रघनाथ जली,
   निदेशक,
   केन्द्रीय मछुआ सहकारी विपणन समिति
   बालूगांव (उड़ीसा)।
3. श्री बी० अरुमुगम,
   पुत्र श्री बालाकृष्णन,
   नार्थ स्ट्रीट,
   कालापट, पांडिचेरी।
4. श्री आर० के० वर्मा,
   अध्यक्ष, भारतीय मात्स्यिकी उद्योग संघ,
   पी० एच० डी० हाउस,
   4 सिरी फोर्ट रोड,
   एशियाई खेल ग्राम के पीछे,
   नई दिल्ली।

केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड में उनकी नियुक्ति की अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए रहेगी।

एस० डब्ल्यू० तेन्जिन्ग, उप सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1985

सं० एफ० 9-14/81-यू०-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आयोग की सलाह पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय समझा जाएगा।

जे० डी० गुप्त, संयुक्त सचिव

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 1985

संकल्प

सं० ई०-11011/10/75-हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 27/29 अप्रैल, 1985 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में, भारत सरकार निम्नलिखित संसद सदस्यों को इस संकल्प के क्रम संख्या 5 तथा 6 के सामने पर्यटन और नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य नामित करती है :—

क्रम सं० 5. श्री श्रीकान्त वर्मा,
संसद सदस्य (राज्य सभा)

क्र० सं० 6. श्री अमर राय प्रधान
संसद सदस्य (लोक सभा)

इन सदस्यों के संबंध में शर्तें वही होंगी जो 27/29 अप्रैल, 1985 के समसंख्यक संकल्प में उल्लिखित हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुमन स्वरूप, निदेशक

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त, 1985

संकल्प

सं० 6 (4)/82-ट्रांस-1—परमाणु ऊर्जा विभाग के विद्युत परियोजना इंजीनियरी डिवीजन का पुनर्गठन न्यूक्लीय विद्युत बोर्ड के रूप में हो जाने के बाद दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के संघटन में समुचित संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इसी के अनुसरण में, इस विभाग के संकल्प सं० 2/12/79-यू० एस० डी०-भार, दिनांक 10 अक्तूबर, 1979 में प्रकाशित दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के संघटन का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाएगा :—

1. अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
2. अध्यक्ष, केरल राज्य बिजली बोर्ड
3. अध्यक्ष, तमिलनाडु बिजली बोर्ड
4. अध्यक्ष, कर्नाटक बिजली बोर्ड
5. मुख्य सचिव, पाण्डिचेरी सरकार
6. कार्यकारी निदेशक, न्यूक्लीय विद्युत बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
7. प्रबंध निदेशक, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन।
8. प्रबंध निदेशक, मैसूर विद्युत निगम।
9. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि।
10. सदस्य-सचिव।

ऊपर (1) से (4) तक के सदस्य, बारी-बारी से, वर्णक्रम के अनुसार एक-एक वर्ष के लिए दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य बिजली बोर्डों, संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी परमाणु ऊर्जा विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन, मैसूर विद्युत निगम, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

जे० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 1985

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/83/38/5—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 3-10-83 तथा समय-समय पर संशोधित समसंख्यक संकल्पों के क्रम में :

(1) दिनांक 21-9-84 के समसंख्यक संकल्प में संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत सदस्य स्व० श्री अरविन्द घोष के स्थान पर एतददारा श्री अमर राय प्रधान, संसद सदस्य (लोक सभा), 126, नार्थ एवेन्यू, नयी दिल्ली को रेल मंत्रालय में गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है ।

(2) दिनांक 17-7-1985 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत समिति में नामित सदस्य श्री शिवाजी राव ऐरडे का नाम कृपया श्री शिवाजी राव आयदे पढ़ें।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोकसभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

अमर नाथ धांधू, सचिव
रेलवे बोर्ड तथा
पदेन संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 1985

संकल्प

सं०-ई-11016/3/85-रा० भा० नी०—श्रम मंत्रालय के दिनांक 3 जुलाई, 1985 के इसी संख्या के संकल्प के क्रम में, भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्ति को श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत करती है :—

श्रीमती सीमा गांधी
मार्फत
श्री बी० के० गांधी
1-2-593/2, गगन महल कालोनी,
डोमल गुड़ा
हैदराबाद।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों एवं श्रम मंत्रालय के सभी कार्यालयों, जिनमें स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं, को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

करनैल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 9th August 1985

RESOLUTION

No. 1/20017/1/85-OL(A-I).—The Government of India have been pleased to appoint Shri V. R. Chandrashekharan as member of the Kendriya Hindi Samiti, reconstituted under the Department of Official Language Resolution No. 1/20017/1/85-OL(A-I) dated 27th June, 1985.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrations of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 22nd August 1985

CORRIGENDUM

No. 12015/12/84-OL (Technical Cell).—In the Resolution of the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language No. 12015/12/84-OL (Tech. Cell) dated the 29th July, 1985 sent on 7th August, 1985 for publication in the Gazette of India Part I, Section 1, the designation of Dr. P. K. Patwardhan against Sl. No. 7 of the Inter Departmental High Level Committee in respect of progressive increase in use of electronic equipments in Devanagari and bilingual form may be read as follows :—

Dr. P. K. Patwardhan,
Head, Computer Division
and Chairman, Technology Transfer Group,
Bhabha Atomic Research Centre,
Trombay,
Bombay-400 085.

D. C. MISRA, Jt. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMN. REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 14th September 1985

CLERKS' GRADE EXAMINATION (FOR GROUP 'D' STAFF), 1985

RULES

No. 9/2/85-CS II.—The Rules for qualifying examination to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel & Training, New Delhi in 1985, for the purpose of filling temporary vacancies reserved for regularly appointed Group 'D' Staff in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, the Armed Forces Headquarters Clerical Service, Grade VI of the Indian Foreign Service

Branch (B) and posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, are published for general information.

The candidates who are admitted to the examination will be eligible for vacancies :—

(i) in the Central Secretariat Clerical Service, if they are working in the Ministries|Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service;

(ii) in the Armed Forces Headquarters Clerical Service if they are employed in the Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisation;

(iii) in Grade VI of the IFS(B), if they are employed in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad; and

(iv) in posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the advertisement to be issued by the Commission.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary Group 'D' employee who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examinations :—

I. *Length of Service.*—He should have rendered on 1st August, 1985, not less than 5 years of approved and continuous service as a Group 'D' employee or in any higher Grade in Ministries|Offices participating in (i) the Central Secretariat Clerical Service, or (ii) Armed Forces Headquarters and|or Inter-Services Organisations or (iii) in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad or (iv) posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE (1) The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of the candidate is partly as a Group 'D' employee in any Ministry or Office participating in the Central Secretariat Clerical Service or in the Offices participating in the Armed Forces Headquarters Clerical Service and partly elsewhere in equivalent or higher grade or as Group 'D' employee in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad or in posts of LDC in the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE (2) Group 'D' employees who are on deputation to Ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. A Group 'D' employee who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and continuous to have a lien on a Group 'D' posts for the time being will also be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

II. *Age.*—He should not be more than 50 years of age on 1st August 1985 i.e. he must not have been born earlier than 2nd August, 1935.

The age limit prescribed above will be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

III. *Educational Qualification.*—Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State| Govt. of India as equivalent to matriculation certificate for entry into service.

NOTE (1) A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will not be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE (2) In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of Government justifies his admission to the Examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or supressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination,

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period;

(i) by the Commission from any examination or selection held by them; and

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) disciplinary action under appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. After the examination, the Commission will recommend separately to each cadre Authority concerned participating in the examination the names of candidates, who have attained the qualifying standard, which will be determined at the discretion of the Commission. The Cadre Authorities will take steps to appoint them against vacancies decided to be filled in accordance with the rules|regulations framed by them in this regard.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE :—In the case of the disabled ex-Defence Service Personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of an appointment.

11. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School of the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Services Commission or Staff Selection Commission,

he shall pass such a test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute to be held by the authority designated by the Government for the purpose within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his appointment to Lower Division Grade.

NOTE : A candidate appointed on the results of the examination who has already passed the typewriting test as prescribed above or who passes it within a period of 6 months from the date of his appointment will be granted the first increment after 6 months instead of one year's service. This will, however, be absorbed in the subsequent regular increment.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment as a Group 'D' employee or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on a Group 'D' post will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Group 'D' employee who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. G. MANDAL, Under Secy.

APPENDIX

The examination will be conducted according to the following Scheme :—

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum marks	Time allowed
I	Short Essay	100	1½ Hours
II	General English	50	1 Hour
III	General Knowledge (including Geography of India)	50	1 Hour

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to the Appendix.

3. Tht candidates are allowed the option to answer Paper-I or Paper III or both either in Hindi, (in Devanagari Script) or in English. Paper II must be answered in English by all candidates.

NOTE 1 : The option for paper III will be for the complete paper and not for different questions in it.

NOTE 2. : Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers of the examination in Hindi (in Devanagari Script) should indicate their intention to do so in their application. Otherwise it would be presumed that they would answer the paper in English.

NOTE 3 : The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

NOTE 4 : No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subject of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction upto 5% of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expressions combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS

PAPER : I *Short Essay*

An essay to be written on any one of the several specified subjects.

PART : II *General English*

Candidates will be tested in simple composition applied Grammar and Elementary Tabulation (to test candidates' ability in the art of compiling, arranging and presenting data in a tabular form).

PAPER : III *General Knowledge* (including Geography of India) to Knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their Scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of an scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th August 1985

MODIFICATION

No. Z.16025|2|83-H.—In partial modification of this Ministry's resolution No. Z.16025|2|83-H dated 11-3-1976, it has been decided to substitute the existing entry under Serial No. 13 of para 2 of the resolution by the following :—

(13) D.D.G.(M), Directorate General of Health Services —Member Secretary.

The other terms and conditions of Delhi Hospital Board remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of Government of India, Directorate General of Health Services/Delhi Administration/ Delhi Municipal Corporation of Delhi/P.M's Office/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Chairman and Mtmber of Delhi Hospitals Board.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. R. DASGUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 15th July 1985

No. 26012(1)|85-FY(6).—In persuance of this Ministry's Resolution No. F. 26011|1|77-FY(T-1) dated the 24th July, 1978, as amended by Resolution No. 26012|1|83-FY(T-1) dated the 12th April, 1984, the President is pleased to nominate the following persons as non-official members of the Central Board of Fisheries :

1. Shri Jagdish Das,
   Ex-M.L.A.,
   Nagaon (Assam).
2. Shri Raghunath Jali,
   Director,
   Central Fishermen Co-op. Marketing Society,
   Balugaon (Orissa).
3. Shri B. Arumugam,
   S|O Shri Balakrishnan,
   North Street,
   Kalapet,
   Pondicherry.
4. Shri R. K. Verma,
   President,
   Association of Indian Fishery Industries,
   PHD House, 4 Siri Fort Road,
   Opposite : Asian Game Village,
   New Delhi-16.

The tenure of their appointment to the Central Board of Fisheries is for a period of three years from the date of issue of this notification.

S. W. TENZING, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 19th August 1985

No. F.9-14|81-U-3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) the Central Government, on the advice of the Commission, hereby declare that International Institute for Population Sciences, Bombay, shall be a deemed to be a University for the purpose of the aforesaid Act.

J. D. GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 13th August 1985

RESOLUTION

No. E.11011|10|75-Hindi.—In continuation of this Ministry resolution of even number dated 27th|29th April, 1985, the Government of India hereby nominate hte following Members of Parliament against Sl. No. 5 and 6 of that Resolution as Members of the Paryatan Aur Nagar Vimanan Hindi Salahkar Samiti :—

S. No. 5 : Shri Shrikant Verma,

M. P. (Rajya Sabha).

S. No. 6 : Shri Amar Roy Pradhan,

M. P. (Lak Sabha).

The terms and conditions concerning these Members will be the same as mentioned in Resolution of even number dated the 27th|29th April, 1985.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, AGCR and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUMAN SARUP, Director

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

DEPARTMENT OF POWER

New Delhi, the 16th August 1985

RESOLUTION

No. 6(4)|82-Trans.—With the reconstitution of power Projects Engineering Division of Deptt. of Atomic Energy as NUCLEAR POWER BOARD, it has become necessary to suitably amend the composition of Southern Regional Electricity Board. In pursuance thereof, the composition of the Southern Regional Electricity Board published in this Department's Resolution No. 2|12|79-USDIV dated the 10th October, 1979 shall be as follows :

(i) The Chairman, Andhra Pradesh State Electricity Board.

(ii) The Chairman, Kerala State Electricity Board.

(iii) The Chairman, Tamil Nadu Electricity Board.

(iv) The Chairman, Karnataka Electricity Board.

(v) The Chief Secretary, Government of Pondicherry.

(vi) The Executive Director, Nuclear Power Board, Department of Atomic Energy or his nominee.

(vii) The Managing Director, Neyveli Lignite Corporation.

(viii) The Managing Director, Mysore Power Corporation.

(ix) A representative of the Central Electricity Authority.

(x) The Member-Secretary.

The Member at (i) to (iv) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Board, by rotation, in alphabetical order, for one year each.

ORDER

Ordered that the above resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of Andhra Pradesh Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, Union Territory of Pondicherry, the Department of Atomic Energy, the Central Electricity Authority. The Southern Regional Electricity Board, the Neyveli Lignite Corporation, the Mysore Power Corporation, the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be publisehed in the Gazette of India..

J. C. GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13th August 1985

RESOLUTION

No.Hindi|Samiti|83|38|5.—In continuation to Ministry of Railways' (Railway Board's) Resolutoin of even number dated 3-10-83 and changes made therein from time to time:—

1. Shri Amar Roypradhan, M. P. (Lok Sabha), 126, North Avenue, New Delhi is hereby nominated on Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under Ministry of Railways, as a representative of Parliamentary Committee on Official Languages in place of late Sh. Arabindo Ghosh, nominated vide resolution of even number dated 21-9-84.

2. Please read the name Shri Shivaji Rao Ayde in place of Shri Shivaji Rao Agde nominated on the Samiti vide resolution of even number dated 17-7-85.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectt. and Ministries and Departments of Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. N. WANCHOO, Secy., Railway Board and ex-officio Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th August 1985

RESOLUTION

No. E-11016|3|85-Rajbha sha Niti.—In continuation of the Ministry of Labour's Resolution of even number dated the 3rd July, 1985, the Government of India nominates the following person as a member of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Labour :—

Smt. Seema Gandhi,
C|o Shri B. K. Gandhi,
1-2-593|2, Gagan Mahal Colony,
Domal Guda,
HYDERABAD.

ORDER

Orderd that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India and all Offices of the Ministry of Labour including Autonomous and Semi-Autonomous Bodies.

Ordered also that the Resolution be pulished in the Gezette of India for general information.

KARNAIL SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985